तीस्ता (चरण-VI) जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट)
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

<table>
<tr><td>1</td><td>परियोजना का नाम</td><td>तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>परियोजना का प्रकार</td><td>जलविद्युत परियोजना (रन आफ दि रिवर स्कीम)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख
क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति

ख) वन संबंधी स्वीकृति</td><td>क) No. J-12011/55/2006-IA.I दिनांक 21.09.2006 एवं No. J-12011/55/2006-IA.I (R) दिनांक 14.08.2020
लांको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड) LTHPL), जो कि एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी, के एनएचपीसी लिमिटेड में दिनांक 27.01.2025 से एकीकरण के पश्चात, पर्यावरण स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु नया प्रस्ताव शीघ्र ही परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ख)
<table>
<tr><th>पत्र संख्या</th><th>दिनांक</th><th>वन क्षेत्र (ha)</th></tr>
<tr><td>F. No. 8-140/2006-FC</td><td>23.05.2008 एवं 12.03.2021</td><td>89.4266</td></tr>
<tr><td>No. 5-WBB009/2007-BHU</td><td>11.09.2007</td><td>0.6935</td></tr>
<tr><td>No. 3-SK B 062/2008-SHI/2274-75</td><td>27.10.2008</td><td>0.096</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)</td><td>90.2161</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4</td><td>स्थान
क) जिला (जिले)
ख) राज्य
ग) अक्षांश
घ) देशांतर</td><td>
गंगटोक और नामची
सिक्किम
27°14’29.98”N (बैराज); 27°10’42” N (पावर हाउस)
88°28’35.39” E (बैराज); 88°30’40” E (पावर हाउस)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पत्र-व्यवहार का पता:
क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित)

ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)</td><td>
कार्यपालक निदेशक,
तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना,
बालुतार, पी ओ सिंगतम, जिला-गंगटोक - 737134
फोन: 03592 - 247221 (O)

कार्यपालक निदेशक
पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग,
एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर,
सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003
फोन: 0129-2254674
ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in</td></tr>
<tr><td>6</td><td>पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण</td><td>अनुलग्नक-I के अनुसार ।</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>7</td>
<td>परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)
क) जलमग्न क्षेत्र:
वन क्षेत्र
गैर-वन क्षेत्र
ख) अन्य</td>
<td>वन भूमि : 36 ha
गैर वन भूमि (निजी) : 0.448 ha
1. 54.2161 हेक्टेयर वन भूमि (भूमिगत 21.9971 हेक्टेयर वन भूमि सहित) ।
2. सिक्किम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एसपीडीसी) द्वारा अधिग्रहित निजी भूमि (लगभग 34 हेक्टेयर) और आगे एलटीएचपीएल को वाणिज्यिक संचालन तिथि से 35 साल की लीज अवधि के लिए स्थायी कार्यों, मक डंपिंग, सड़क, निर्माण सुविधा, और
3. एलटीएचपीएल द्वारा सीधे अल्पकालिक पट्टे पर ली गई निजी भूमि (लगभग 11.3657 हेक्टेयर) 3.5/4/4.5/5/6/7 वर्ष की अवधि के लिए ।</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण:
क) अनु.जा./अनु.ज.जा./आदिवासी
ख) अन्य</td>
<td>तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में स्थित है । भूमि के कुछ हिस्से के अधिग्रहण से 111 परिवारों की करीब 400 से 500 की आबादी प्रभावित हुई है । परियोजना की ईआईए रिपोर्ट अनुसार, परियोजना से प्रभावित परिवार जाति का विवरण निम्नानुसार है :
<table>
<tr><th>जाति श्रेणी</th><th>संख्या</th></tr>
<tr><td>(a) अनुसूचित जनजाति (एसटी)</td><td>41</td></tr>
<tr><td>(b) अनुसूचित जाति (एससी)</td><td>6</td></tr>
<tr><td>(c) अधिकांश पिछड़ा वर्ग (एमबीसी)</td><td>8</td></tr>
<tr><td>(d) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)</td><td>55</td></tr>
<tr><td>(e) अन्य</td><td>1</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>111</td></tr>
</table>
• उनकी निजी भूमि का केवल एक हिस्सा ही अधिग्रहण के दायरे में आया है, कोई भी परिवार भूमिहीन नहीं हुआ है । भूमि अधिग्रहण में कोई आवास शामिल नहीं है इसलिए कोई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना प्रस्तावित नहीं की गई है ।</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष:
ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च:
ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किया गया आवंटन:
घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च:</td>
<td>₹ 5,748.04 करोड़ जुलाई 2018 पीएल, जिसमें ₹ 977.09 करोड़ की आईडीसी और एफसी की ₹ 907 करोड़ राशि (निवेश अनुमोदन के अनुसार) शामिल है ।

₹4203.25 करोड़ (31.03.2025 तक) ।

₹ 3547.44 लाख (ईएमपी और उसके बाद के संशोधन के अनुसार)

₹ 3079.23 लाख (विवरण के लिए अनुबंध-I)</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>वन भूमि की आवश्यकताएं:
क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति</td>
<td>• दिनांक 23.05.2008 को 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि (67.4295 हेक्टेयर सतही भूमि और 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमि) एमओईएफ द्वारा वन स्वीकृति प्रदान किया । एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा दिनांक 09.10.2019 से एलटीएचपीएल के अधिग्रहण के बाद,</td>
</tr>
</table>

	ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	एफ. सं. 8-140/2006-एफसी दिनांक 12.03.2021 के तहत एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में वन मंजूरी स्थानांतरित कर दी गई है । लांको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (LTHPL) के एनएचपीसी लिमिटेड में दिनांक 27.01.2025 से एकीकरण के पश्चात, 89.4266 Ha वन स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु नया प्रस्ताव शीघ्र ही परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया जाएगा। • एमओईएफ, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर ने पत्र दिनांक 11.09.2007 द्वारा तारखोला में लिंक रोड और पुल के लिए 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को मंजूरी दी । 0.6935 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी हेतु प्रस्ताव परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया गया। LTHPL के एनएचपीसी लिमिटेड में एकीकरण के पश्चात, पुनः वन स्वीकृति के हस्तांतरण हेतु नया प्रस्ताव शीघ्र ही परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया जाएगा। • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग ने अपने पत्र दिनांक 27.10.2008 के माध्यम से तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना की कॉलोनी और अन्य स्थानों पर जल आपूर्ति पाइपलाइन बिछाने के लिए 0.096 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति दी। 0.096 हेक्टेयर वन भूमि के वन स्वीकृति हस्तांतरण के लिए एलटीआई-आईपीएल (NHPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के पक्ष में प्रस्ताव PARIVESH पोर्टल 2.0 पर प्रस्तुत किया गया है। फाइल वर्तमान में विचारार्थ नोडल अधिकारी (एफसीए), राज्य वन विभाग, सिक्किम सरकार के पास है। • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), कोलकाता के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से सिक्किम के नामची जिले में 220 केवी डी/सी तीस्ता-VI से रंगपो ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 30.1919 हेक्टेयर (26.42076 हेक्टेयर आरएफ + 3.77116 हेक्टेयर सरकारी खासमल) वन भूमि के लिए चरण-I वन स्वीकृति प्रदान की। प्रतिपूरक लेवी जमा कर दी गई है। • एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), कोलकाता द्वारा पत्र दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से सिक्किम राज्य के नामची जिले के तहत थलथले, पामफोक में मलबा डंपिंग हेतु 1.8115 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन स्वीकृति चरण-I प्रदान की गई। प्रतिपूरक लेवी जमा कर दी गई है।
11	**निर्माण की स्थिति :** **क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / या नियोजित)** **ख) पूर्ण होने की तिथि (वास्तविक और/या नियोजित)**	लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्च 2007 और लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा पुनः आरंभ करने की तिथि : 08.03.2019 यानी भारत सरकार द्वारा निवेश अनुमोदन की तिथि । नियोजित: यूनिट I एवं II अक्टूबर 2027 यूनिट III नवम्बर 2027 यूनिट IV दिसम्बर 2027
12	**विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है:**	• परियोजना का कार्य मार्च 2007 में एलटीएचपीएल)LTHPL) द्वारा प्रारंभ किया गया था। हालांकि, वर्ष 2012 से परियोजना का निर्माण कार्य ठप हो गया था और माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण

		)NCLT) द्वारा प्रस्तावित समाधान योजना)Resolution Plan) की स्वीकृति के उपरांत, एनएचपीसी लिमिटेड ने 09.10.2019 से एलटीएचपीएल का अधिग्रहण एक क्रियाशील इकाई के रूप में किया है, और शेष निर्माण कार्य प्रगति पर है।
13	**स्थल के दौरों का ब्यौरा:** **क) मानीटरिंग समिति द्वारा** **ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा**	• पुनर्गठित बहु-अनुशासनात्मक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया एवं पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई ।
14	**पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट :**	अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न ।

अनुलग्नक-I

तीस्ता-VI जलविद्युत परियोजना (500 मेगावाट) के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण

क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना का नाम	ईएमपी की लागत # (₹ लाख)	व्यय की गई राशि (₹ लाख)	उपयोगिता प्राप्त (₹ लाख)
1	सार्वजनिक स्वास्थ्य और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना	179.00	0.00	0.00
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (संशोधित)	2410.18*	2410.18	1371.27
3	प्रतिपूरक वनरोपण योजना	114.65	114.65	114.65
4	जैव विविधता संरक्षण (मछली प्रबंधन योजना सहित)	119.12*	119.12	95.34
5	मछली प्रबंधन योजना	170.00*	170.00	0.00
6	मृदा संरक्षण और वन संरक्षण योजना	183.53*	183.53	0.00
7	मुफ्त ईंधन प्रावधान	98.85	0.00	0.00
8	स्पोईल टिप्स के लिए पुनर्स्थापना योजना	81.61	0.00	0.00
9	खदान स्थलों के लिए बहाली योजना	35.97	0.00	0.00
10	लैंडस्केप योजना	48.91	0.00	0.00
11	परियोजना क्षेत्र के चारों ओर हरित पट्टी	13.58	0.00	0.00
12	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	13.25	2.96	2.96
13	फसल मुआवजा	78.79	78.79	78.79
	कुल	**3547.44**	**3079.23**	**1663.01**
ईएमपी लागत में एनपीवी की राशि (₹ लाख 568) और पट्टे पर ली गई भूमि की लागत शामिल नहीं है ।				

एमओईएफ एवं सीसी द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट और राज्य सरकार द्वारा बाद में संशोधन के अनुसार ।

* एलटीएचपीएल द्वारा धनराशि को वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार के सिक्किम कैम्पा एवं मत्स्य पालन निदेशालय, सिक्किम सरकार के पास जमा कर दी गई है ।

अनुलग्नक-II

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट

क्रम	भाग क: विशिष्ट शर्तें	अनुपालन
i)	ईएमपी में प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण योजना को चिन्हित स्थानों पर पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।	• वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण योजना के अंतर्गत कुल ₹119.12 लाख की धनराशि में से ₹95.34 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र)Utilization Certificate) 31.03.2020 तक प्रस्तुत की गई। • सिक्किम सरकार के वन विभाग द्वारा थलथले गाँव (पामफोक ब्लॉक) में अवैध प्रवेश पर निगरानी हेतु एक चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। आस-पास के क्षेत्रों को क्षति से बचाने हेतु विचलित वन भूमि का सीमांकन और बाड़बंदी कर दी गई है। हालांकि, मृदा संरक्षण एवं वन सुरक्षा योजना (Soil Conservation & Forest Protection Plan) को अभी तक राज्य वन विभाग द्वारा वार्षिक कार्य योजना (APO) में शामिल नहीं किया गया है।
ii)	प्रवासी मछलियों के प्रसार के लिए, दिनांक 18 अगस्त 2006 के पत्र के अनुसार प्रस्तावित एक मछली फार्म/हैचरी विकसित की जाएगी।चूंकि कैद में महसीर मछली का प्रजनन कठिन होता है, इसलिए हैचरी में महसीर के प्रजनन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस पत्र के जारी होने की तिथि से छह महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। ।	• चित्तरे गाँव, जिला नामची, सिक्किम में मछली पालन सह हैचरी इकाई)Fish Farm-cum-Hatchery Unit) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। • सिक्किम सरकार के मत्स्य निदेशालय से पत्र दिनांक 23.04.2025 (परिशिष्ट 1) के माध्यम से मार्च 2025 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अद्यतन जानकारी देने का अनुरोध किया गया था। उत्तर की प्रतीक्षा है।
iii)	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, चार वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए । योजना अनुबंध-III के रूप में संलग्न है:	• वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा पत्र दिनांक 22.03.2021 के माध्यम से पूर्ववर्ती एलटीएचपीएल)LTHPL) द्वारा जमा की गई कुल ₹1,122.73 लाख की राशि में से ₹1,091.27 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र)Utilization Certificate) 31.03.2020 तक कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट योजना)CAT Plan) के क्रियान्वयन में व्यय की गई राशि के लिए प्रस्तुत की गई। • एलटीएचपीएल के एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के उपरांत, राज्य वन विभाग ने CAT योजना की लागत को संशोधित कर ₹2,410.18 लाख कर दिया और शेष ₹1,287.45 लाख की मांग पत्र दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से की। एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा 26.04.2022 को सिक्किम CAMPA में संशोधित लागत के अनुसार ₹1,287.45 लाख का भुगतान कर दिया गया। • वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा 14.06.2024 को पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान संशोधित CAT योजना के तहत खर्च की गई राशि की प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रमाणित किया गया कि जमा की गई ₹1,287.45 लाख की राशि में से ₹280.00 लाख की राशि उपयोग की गई है। • इस प्रकार, कुल ₹2,410.18 लाख में से ₹1,371.27 लाख की राशि अब तक व्यय की जा चुकी है।

		• नोडल अधिकारी (FCA), वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार से पत्र दिनांक 23.04.2025 (परिशिष्ट 2) के माध्यम से मार्च 2025 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। उत्तर की प्रतीक्षा है।
iv)	भूस्खलन संभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, निकट पर्यवेक्षण में बड़ी सावधानी के साथ टनलिंग की जानी चाहिए ।	भूस्खलन संभावित क्षेत्र के लिए, उचित नियंत्रित विस्फोट या यांत्रिक तरीकों से और पर्याप्त समर्थन प्रणाली प्रदान करके सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है ।
v)	एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जातिअनुसूचित / जनजाति वर्ग के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और एक महिला लाभार्थी के प्रतिनिधि शामिल हों ।	• एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.05.2022 के पत्र के माध्यम से बहुविषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया । • पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया और पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।
vi)	जन सुनवाई में परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी आश्वासनों/प्रतिबद्धताओं का अक्षरश: सम्मान किया जाना चाहिए।	पालन किया जा रहा है ।
vii)	67.4367.43 हेक्टेयर वन भूमि प्राप्त करने के लिए वन मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए और जमा की जानी चाहिए ।	• वन स्वीकृति -चरण)II) MoEF&CC द्वारा लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पत्र दिनांक 23.05.2008 के माध्यम से 89.4266 हेक्टेयर वन भूमि)67.4295 हेक्टेयर सतही भूमि एवं 21.9971 हेक्टेयर भूमिगत भूमिके लिए प्रदान की गई थी। (• इसके पश्चात, उपयोगकर्ता एजेंसी (User Agency) के नाम में परिवर्तन को एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलटीएचपीएल (LTHPL) के पक्ष में MoEF&CC, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 12.03.2021 के माध्यम से स्वीकार किया गया। • अब, एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) का एनएचपीसी लिमिटेड में 27.01.2025 को विलेयन हो गया है, जिसे भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आदेश संख्या 24/6/2022-CL-III दिनांक 02.01.2025 के माध्यम से स्वीकृति दी गई है (परिशिष्ट 3)। • अब उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम परिवर्तन हेतु आवेदन जल्द ही Parivesh Portal 2.0 में किया जाएगा।
viii)	शुष्क मौसम के दौरान जलीय जीवन के निर्वाह के लिए उपलब्ध पानी का 10% (82.5 क्यूमेक्स) बांध के नीचे की ओर छोड़ा जाना चाहिए ।	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम द्वारा पत्र दिनांक 01.10.2022 के माध्यम से तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना के लिए 15% न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह)e-flow) की मात्रा को अंतिम रूप दिया गया, जो कि लीन सीजन (दिसंबर से मार्च) के दौरान 16.60 क्यूमेक्स निर्धारित की गई है। परियोजना के चालू होने के उपरांत बैराज के डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 16.60 क्यूमेक्स e-flow छोड़ने के लिए बैराज में उपयुक्त व्यवस्था की गई है, ताकि जलजीवों के जीवनयापन (aquatic life sustenance) हेतु आवश्यक प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
ix)	यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य संगठन से कोई अन्य मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए ।	सभी उचित मंजूरी आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया गया है ।
	भाग ख. सामान्य शर्तें	
i	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा लगे हुए जनशक्ति को मेस की सुविधा प्रदान की जा रही है ।

	की जानी चाहिए ताकि पेड़ों की अवैध कटाई को रोका जा सके ।	
ii	ईंधन (मिट्टी का तेल/लकड़ी) मुहैया करने लिए स्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए । श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं ओर मनोरंजन सुविधाएं भी दी जानी चाहिए ।	• ईंधन (एलपीजी और मिट्टी का तेल) आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय बाजार से ठेकेदारों द्वारा खरीदा जा रहा है । • ठेकेदारों के शिविरों को मनोरंजन सुविधाओं आदि से सुसज्जित किया जा रहा है । • ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
iii	निर्माण-कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों की स्वास्थ्य कार्मिकों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और उन्हें कार्य करने की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए	• काम में लगाने से पहले मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की जाती है। • मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।
iv	उत्खनित सामग्री के डंपिंग स्थल सहित निर्माण क्षेत्र के फैंकने के स्थल को समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए ।	• पर्यावरण के अनुकूल उपाय अपनाते हुए निर्धारित मलबा डंप स्थलों)dump yards) पर मलबा डंप किया जा रहा है। • डंपिंग क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार क्रेट वॉल (crate walls), आर.आर.एम. वॉल (RRM walls) आदि जैसे पर्याप्त रिटेनिंग स्ट्रक्चर प्रदान किए जा रहे हैं। • डंपिंग के उपरांत, क्षेत्रों को समतल किया जा रहा है। • नालों एवं नदी क्षेत्रों में, स्थल की आवश्यकता के अनुसार क्रेट वॉल एवं कंक्रीट प्लग जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। • सभी सावधानियाँ एवं सुरक्षा उपाय कार्य प्रगति के अनुसार वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाए जा रहे हैं।
v	उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए ।	ठेकेदारों द्वारा अपने निर्माण स्थलों पर सभी सुझावात्मक सुरक्षा उपायों का ध्यान रखा जा रहा है।
vi	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, मिट्टी की बातचीत, गैर सरकारी संगठन आदि के विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बहुविषयक - समिति का गठन किया जाना चाहिए।	• एमओईएफ़ & सीसी, नई दिल्ली ने दिनांक 25.05.2022 के पत्र के माध्यम से बहुविषयक निगरानी समिति का पुनर्गठन किया । • पुनर्गठित बहु-विषयक निगरानी समिति ने दिनांक 27.02.2023 को परियोजना स्थल का दौरा किया और पुनर्गठित निगरानी समिति की पहली बैठक दिनांक 04.03.2023 को वन और पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार, गंगटोक में आयोजित की गई।
vii	मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा करने के लिए छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें प्रस्तुत की जानी चाहिए ।	छह-माही निगरानी रिपोर्टें नियमित रूप से MoEF&CC के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों एवं MoEF&CC, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं। पिछली प्रगति रिपोर्ट MoEF&CC के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को पत्र दिनांक 25.10.2024 के माध्यम से प्रेषित की गई थी।
viii	क्षेत्रीय कार्यालय एमओईएफ, शिलांगकोलकाता के अधिकारी जो / पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन कीनिगरानी करेंगे, उन्हें परियोजना समर्थकों द्वारा उनके निरीक्षण के दौरान पूरी सुविधाएं और दस्तावेज। आंकड़े दिए जाने चाहिए/	नोट किया गया । इस शर्त का अनुपालन एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा पूर्ण रूप से किया जाएगा ।
ix	पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह से मैसर्स लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेडलिमिटेड लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर/ और सिक्किम सरकार की है।	नोट किया गया । एलटीएचपीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) पर्यावरण सुरक्षा के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करेगी ।

अनुलग्नक- III

जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का विवरण

तीस्ता-VI जल विद्युत परियोजना के लिए पंचवर्षीय जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य योजना								
क्रम सं.	**कार्य की मदें**	**ईकाई**	**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**चतुर्थ वर्ष**	**पंचम वर्ष**	**कुल**
I	वन भूमि							
A	जैविक उपाय							
1	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन	Ha	20	30	30			80
2	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन	Ha	150	350	350	350		1200
3	औषधीय वृक्षारोपण	Ha	50	50				100
4	औषधीय वृक्षारोपण	Ha	50	50				100
5	भू-स्लाइड क्षेत्रों में बुआई और बूंदाबांदी	Ha				10	10	20
6	कृत्रिम पुनर्जनन	Ha		300	400	400	400	1500
7	सिल्विकल्चर विकास	Ha		30	30	40		100
8	बांस (परेंग बागान)	Ha		30	30	40		100
9	कांटेदार तार की बाड़	km	5	5				10
10	सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और अन्य वृक्षारोपण का रखरखाव	Ha	270	810	810	800	410	3100
11	पंक्तियों में जेट्रोफा के साथ वनस्पति बाड़ लगाना	km	15	10				25
B	इंजीनियरिंग कार्य							
1	झोरा प्रशिक्षण सॉसेज दीवार के साथ	m3	1000	700	300			2000
2	सूखे पत्थर की दीवार	m3	1200	600	200			2000
3	कैच जल नालीयाँ	m	1400	400	200			2000
4	बल्ली फेंसिंग	Ha	40	10				50
II	कृषि भूमि							
A	जैविक उपाय							
1	चारा विकास	Ha			200	400	400	1000
2	कृषि वानिकी (200 पौधे प्रति हेक्टेयर)	Ha			200	400	400	1000
3	जेट्रोफा वृक्षारोपण (अकृषि योग्य निचला क्षेत्र)	Ha	100					100
B	इंजीनियरिंग कार्य							
1	झोरा प्रशिक्षण सॉसेज दीवार के साथ	m3	1400	400	200			2000
2	सूखे पत्थर की दीवार	m3	1400	400	200			2000
3	कैच जल नालीयाँ	m	1400	400	200			2000
4	बल्ली फेंसिंग	Ha	40	10				50